

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 254/2024

तारीख रजू :- 21-11-2024

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2024/549

उनवान

प्रेम पत्नि सोनलाल जाति जाटव निवासी गद्दीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली राज०

---वादीगण-08

बनाम

सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली राज०

---प्रतिवादी

| दिनांक   | फर्द अहकाम  |  |
|----------|---|--|
| 11.12.24 | <p>यह दावा वादी की ओर से श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.12.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(हेमराज गुर्जर)<br/>उप खण्ड अधिकारी<br/>हिण्डौन जिला करौली</p> <p style="text-align: center;"><del>28/12/24</del><br/>पत्रावली पेश हुई। बीबीसीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक.....को पेश है।<br/>24-12-24</p> | <p style="text-align: right;">रजि०<br/>2089<br/>3/3/2025</p> |
| 16/12/25 | <p>पत्रावली पेश हुई। बार-बार शावाज दिलाने पर भी वादीगण एवं उनके अधिकारता उप. नहीं हुए। अतः मु. नं. 254/2024 उनवान प्रेम बनाम सरकार तहसीलदार सूरौठ दावा बाबत लोषणा खातेदारी अदम पैसवी अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली पैसल सुमार होइ वाद तम्मिल नं. से कम की जाइत राखिल कप्तार हो। औरंग खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>  |  |